जन–सुनवाई कार्यवृत्त

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री रामजस, एम.एल. नम्बर 52/2022, रेफरेन्स नम्बर 20221000068451, क्षेत्रफल 4.9830 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,94,640 टी.पी.ए. (रोम), निकट ग्राम डेह, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर जो कि कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 88.1812 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता– 56,95,806 टी.पी.ए.(रोम) में स्थित है में बॉल क्ले, सिलिका सेंड, कंकर, ग्रेवल एवं मुर्रम के खनन की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलक्टर बीकानेर के प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार नायक, उपखण्ड अधिकारी, कोलायत, बीकानेर की अध्यक्षता में एवं क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर की उपस्थिति में **ग्राम पंचायत भवन चक बन्धा नम्बर 1, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर** में दिनांक **15.01.2026** को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गई।

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट "अ"** पर सलंग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 06.12.2025 को समाचार पत्र 'दैनिक भास्कर' एवं 'दैनिक युगपक्ष' में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ **परिशिष्ट "ब"** पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर ने सभी आगुन्तको का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचनाओं में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर द्वारा आयोजित की जा रही है जिसमें जिला कलक्टर महोदय की तरफ से उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज

क्षेत्रीय अधिकारी
राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

करवा सकते है। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई की विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेगें। इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी, कोलायत की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री रामजस** के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **मैसर्स यूनिवर्सल एन्वायरोटेक"** को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स यूनिवर्सल एन्वायरोटेक"** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना निकट ग्राम डेह, तहसील–कोलायत जिला–बीकानेर में अप्रधान खनिज– बॉल क्ले, सिलिका सेंड, कंकर, ग्रेवल एवं मुर्रम के खनन हेतु प्रस्तावित है **जिसका एम.एल. नम्बर 52/2022, रेफरेन्स नम्बर 20221000068451,** कुल खनन क्षेत्रफल **4.9830** हेक्टेयर तथा उत्पादन क्षमता **3,94,640 टी.पी.ए. (रोम) {कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 89. 1812 हैक्टेयर एवं कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता– 56,95,806 टी.पी.ए.(रोम)}** होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, कोलायत द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त ग्रामवासियों का स्वागत करते हुए बताया गया कि नवीन पंचायत भवन के निर्माण के पश्चात पहली बार यहाँ जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। उपखण्ड अधिकरी महोदय द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में नवीन खनन इकाई की स्थापना हेतु जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है साथ

क्षेत्रीय अधिकारी
राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

ही उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासीयों से आक्षेप/सुझाव/आपत्तियाँ प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया एवं आश्वासन दिया कि आप द्वारा प्रस्तुत किये गये आक्षेप/सुझाव का रिकॉर्ड में लेकर विधि सम्मत तरीके से निस्तारण करने का प्रयास किया जायेगा।

उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासीयों को अवगत करवाया गया कि किसी भी नवीन परियोजना प्रस्तावित होने पर पर्यावरणीय जनसुनवाई आयोजित किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाती रही है एवं भविष्य में भी की जाती रहेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः आमंत्रित किया गया।

अन्त में ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के पश्चात ई–मेल के माध्यम से 1 लिखित आक्षेप/आपत्ति प्राप्त हुई जिसकी प्रति **परिशिष्ट "स"** पर संलग्न है।

(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राज.रा.प्र.नि.म., बीकानेर
क्षेत्रीय अधिकारी
राज.राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर

(राजेश कुमार नायक)
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत
बीकानेर
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

उपस्थिति पंजिका

प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री रामजस, एम.एल. नम्बर 52/2022, रेफरेन्स नम्बर 20221000068451, क्षेत्रफल 4.9830 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,94,640 टी.पी.ए. (रोम), निकट ग्राम डेह, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर जो कि क्लस्टर परियोजना {एम.एल. नम्बर 52/2022, एम.एल. नम्बर 74/2019, एम.एल. नम्बर 32/2020, एम.एल. नम्बर 09/2022, एम.एल. नम्बर 05/2018, एम.एल. नम्बर 31/2021, एम.एल. नम्बर 26/2019, एम.एल. नम्बर 27/2019, एम.एल. नम्बर 62/2019, एम.एल. नम्बर 67/2019, एम.एल. नम्बर 66/2019, एम.एल. नम्बर 01/2018, एम.एल. नम्बर 03/2018, एम.एल. नम्बर 04/2018, एम.एल. नम्बर 17/2021, एम.एल. नम्बर 15/2018, एम.एल. नम्बर 74/2018, एम.एल. नम्बर 08/2011, एम.एल. नम्बर 07/2011} कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 89.1812 हैक्टेयर कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–56,95,806 टी.पी.ए.(रोम) में स्थित है में बॉल क्ले, सिलिका सेंड, कंकर, ग्रेवल एवं मुर्रम के खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 15.01.2026 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थानः– ग्राम पंचायत भवन चक बन्धा नम्बर 1, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर
दिनांकः–15.01.2026 समय प्रातः 11.00 बजे

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग/कार्यालय/निवासी	हस्ताक्षर
1.	राकेश कुमार नागर	उपखंड अधिकारी, कोलायत	[signature]
2	Rajkumar Meena	R.O. RSPCB, Bikaner	[signature]
	अतुलराज लाल	Young Intern RSPCB	[signature]
	मनोज	बीकानेर	[signature]
	VISHNU	माणकासर	[signature]
	जयनारायण	माणकासर	[signature]
	छैलू सिंह	माणकासर	[signature]
	ओमप्रकाश	माणकासर	[signature]
	तेजाराम	भलूरी	[signature]
	ओमप्रकाश	डेह	[signature]
	विजयपाल	डेह	[signature]
	महेन्द्र	डेह	[signature]
	सुखराम	डेह	[signature]
	प्रेमाराम	मंडाल	[signature]

उपस्थिति पजिंका

प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री रामजस, एम.एल. नम्बर 52/2022, रेफरेन्स नम्बर 20221000068451, क्षेत्रफल 4.9830 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,94,640 टी.पी.ए. (रोम), निकट ग्राम डेह, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर जो कि क्लस्टर परियोजना {एम.एल. नम्बर 52/2022, एम.एल. नम्बर 74/2019, एम.एल. नम्बर 32/2020, एम.एल. नम्बर 09/2022, एम.एल. नम्बर 05/2018, एम.एल. नम्बर 31/2021, एम.एल. नम्बर 26/2019, एम.एल. नम्बर 27/2019, एम.एल. नम्बर 62/2019, एम.एल. नम्बर 67/2019, एम.एल. नम्बर 66/2019, एम.एल. नम्बर 01/2018, एम.एल. नम्बर 03/2018, एम.एल. नम्बर 04/2018, एम.एल. नम्बर 17/2021, एम.एल. नम्बर 15/2018, एम.एल. नम्बर 74/2018, एम.एल. नम्बर 08/2011, एम.एल. नम्बर 07/2011} कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 89.1812 हैक्टेयर कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–56,95,806 टी.पी.ए.(रोम) में स्थित है में बॉल क्ले, सिलिका सेंड, कंकर, ग्रेवल एवं मुर्रम के खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 15.01.2026 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थानः– ग्राम पंचायत भवन चक बन्धा नम्बर 1, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर
दिनांकः–15.01.2026 समय प्रातः 11.00 बजे

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग/कार्यालय/निवासी	हस्ताक्षर
1	[illegible]	[illegible]	[signature]
	महेन्द्र	मानकासर	महेन्द्र
	स्वरूप	सारवाला	स्वरूप
	Rajkumar	Mandal	[signature]
	श्रीकान्त	मण्डाल	श्रीकान्त
	सीमा	डेह	सीमा
	राजेश कुमार (सोनी)	पर्यावरणीय सलाहकार जयपुर	[signature]
	विवेक भाटी	पर्यावरणीय सलाहकार जयपुर बीकानेर	[signature]
	अतुल [illegible]		[signature]

Gmail

Regional Office, RSPCB, Bikaner <ro.bikaner@gmail.com>

Document from एडवोकेट दलीप सिंह

1 message

DALEEP SINGH <daleepsingh0202@gmail.com>
To: ro.bikaner@gmail.com

Thu, Jan 15, 2026 at 1:07 PM

प्रार्थी की ओर से आपत्तियां दर्ज करने बाबत

DOC-20260115-WA0213.
1582K

सेवा मे,

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय
बीकानेर

महोदय जी,

विषय :— खनन पट्टे की पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में ग्रामीणो की ओर से आपति दर्ज करने बाबत् ।

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम रोही डेह के खसरा नं 15 एम एल नं 82/2022 की ऑनलाईन गई है जिसकी पर्यावरण स्वीकृती को लेकर ग्राम पंचायत एवं मिनरल्स द्वारा खनन लीज विभाग द्वारा जारी करवाई आयोजन दिनांक 15/1/26 को होने जा रहा है। में जन सुनवाई का

पर्यावरण स्वीकृती को लेकर ग्रामीणो की ओर से आपतियां निम्न प्रकार से है ।

1. खनन पट्टा धारक द्वारा लीज क्षेत्र के ग्रीन बेल्ट सहित आस पास के क्षेत्र मे किसी भी प्रकार से वृक्षारोपण नही किया जाता है जिसके कारण क्षेत्र मे पर्यावरण प्रदुषण मे लगातार बढोतरी हो रही है ।
2. पट्टाधारक द्वारा खनन करते समय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम सहित अन्य अधिनियमो के तहत खनन कार्य नही किया जा रहा है
3. पट्टाधारक द्वारा खनन के दौरान माल को परिवहन करने वाले वाहनो को बिना तिरपाल से माल का परिवहन करते है जिसके कारण परिवहन के समय वाहनो से मिट्टी व धुल के कण हवा मे उडते है जिसके कारण आवादी क्षेत्र से निकलने वाले वाहनो से ग्रामीणो को परेशानी का सामना करना पड़ता है ।
4. खनन लीज क्षेत्र मे काम करने वाले श्रमिको को किसी भी प्रकार से सुरक्षा उपकरण मास्क , सेफटी सुज, हेलमेट आदी सामग्री उपलब्ध नही करवाई जाति है जिसके कारण लगातार श्रमिको के साथ लगातार हादसे होते रहते है ।
5. खनन प्रकिया के दौरान वायु को नियत्रिंत करने के लिए निम्नलिखित उपायो की पालना नही करते है
   - **A.** सड़को पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव नही करते है
   - **B.** धुल उत्सर्जन क्षेत्र मे कार्यरत मजदूरो को डस्ट मास्क उपलब्ध नही करवाये जाते है ।
   - **C.** धूल प्रदुषण को नियत्रिंत करने के लिए पट्टा क्षेत्र के बाहर हरित पट्टिका / वृक्षारोपण विकसित नही किये जाते है ।
   - **D.** वायु की नियमित जांच नही करवाते है ।
   - **E.** ट्रको में ओवरलोडिंग से माल परिवहन करवाते है ।

6- ध्वनि प्रबंधन के नियमो का उल्लघंन

(अ). खनन क्षेत्र मे कार्य के उपयोग मे ली जाने वाली मशीनो का सही तरिके से रख रखाव नही किया जाता है जिसके कारण कार्य के समय शोर बहुत ज्यादा होने के कारण आस पास के आमजन को बड़ी मुश्किलो का सामना करना पड़ता है

(ब). मशीनरी का उचित रख रखाव और ट्युनिंग सुनिश्चित नही की जा रही है

(स). मजदूरो को अत्यधिक शोर के प्रभाव से बचाने के लिए इयर प्लग एवं मफ्र्स का उपयोग नही करवाया जाता है ।

(द). ध्वनि प्रसारण को रोकने के लिए पट्टा क्षेत्र के बाहर हरित पट्टिका वृक्षारोपण विकसित नही किया जाता है ।

(स). ध्वनि गुणवता का आवधिक निरिक्षण नही करवाया जाता है व भविष्य में किसी भी प्रकार से उचित प्रयास नही करते है ।

7- परियोजना लाभ

A- पट्टेदार स्थानीय पंचायत का समर्थन नही करता है क्षेत्र मे सार्वजनिक सुविधाओ के विकास के लिए सहायता प्रदान नही करता है पट्टेदारी कुशल एवं अकुशल कामगार स्थानीय एवं योग्यताओ के अनुसार कार्य नही देकर के बाहर के लोगो को कार्य देते है

B- बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधा सुधार एवं आवास , परिवहन , चिकित्सा , शिक्षा और अन्य नागरिक सुविधाओ से वचिंत किया जाता है

8- जल प्रबंधन

A- वर्षा के समय बहने वाला पानी बाल क्ले मे घुलकर आस पास के किसानो के खेतो मे जाने के कारण उनके खेतो की फसल उपजाउ दिनो दिन कम होने के कारण स्थानिय किसानो को बड़ा संकट का सामना करना पड़ रहा है

B- कुछ वर्षा का जल खनन पिट के अन्दर चला जाता है वर्षा जल को रोकने के लिए पिट के चारो और गारलैंड ड्रेंन नही बनाये जाते है

9- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

A- खनिज उत्खनन से अनेको बार विषैला पदार्थ निकलता है जिसके कारण आस पास के किसानो की खेत की मिट्टी प्रदुषित होती है ।

B- अपशिष्ट और सिल्ट को रोकने के लिए डम्प के चारो और रिटेनिंग वॉल नही बनाई जाति है ।

C- खनन क्षेत्र से निकलने वाले ओवर बर्डन को रिफलिंग न करके आस पास लीज क्षेत्र से बाहर डाल दिया जाता है ।

D- अपशिष्ट डम्पो को स्थिर करने के लिए सभी सुरक्षा उपाय नही किये जाते है आवश्यकता होने पर डपिंग के सिरे पर रिटेनिंगवॉल नही बनाई जाती है परिपक्य डम्प पर वर्क्षारोपण नही करते है ।

स्त्रोत पर अपशिष्ट उत्पादन को कम करने के लिए किसी भी प्रकार से देखभाल नही की जाती है ।

10- हरित पट्टिका विकास एवं वृक्षारोपण कार्यकम पर ध्यान नही देना

CPCB दिशा निर्देशो के अनुसार पौधो की प्रजातियो को नही लगाया जाता है व वनीकरण योजना के तहत बैकफिल्ड क्षेत्रो और आबादी कनेक्टिंग सड़को मे वृक्षा रोपण नही करते है बैरियर जोन और सड़को में वृक्षा रोपण आवश्यक होने के बावजूद न करते जिसके कारण क्षेत्रो मे खनन कार्य एवं वाहन आंदोलन के परिणाम स्वरूप सुक्ष्म कण धुल के उडने के कारण स्थानियो को परेशानी होती है

11. खनिज क्षेत्र के 10 किमी त्रिज्या क्षेत्र मे वन विभाग , ओरण , गोचर होने के कारण जिव जन्तूओ का आवागमन हमेशा होता रहता है और इससे जिव जन्तुओ को खनन कार्य के दौरान परेशानियो के कारण क्षेत्र से लुप्ट होने जा रहे है

12. खनन क्षेत्र के पास मे नदी नाला , वाटर चेनल्स व जल संसाधन विभाग के रिकॉर्ड मे 90 sq में गंगा सरोवर बांध का पायतन है एवं कपिल सरोवर का पायतन खनन से कही न कही बहाव क्षेत्र प्रभावित होगा

13. पास में ही जोगिरा तालाब , भलूरी तलाई , सुरजमल तलाई , मोटावता तलाई , खारी तलाई सहित कई तलाईया है जो कि वो भी खनन के दौरान प्रभावित होने की पुरी संभावना है

14. खनन कार्य के दौरान वायु, ध्वनि, जल एवं मृदा पर भी कही न कही बुरा प्रभाव पड़ेगा एवं इनकी गुणवता व जांच पर पट्टाधारक ध्यान नही देते है ।

15. खनन क्षेत्र के चारो और किसी भी प्रकार से फेनसिंग और तारबंदी नही लगाई जाती है जिसके कारण पशु गिरने से आये दिन हादसे होते रहते है

16. जीव जन्तु

A- खनन पट्टा क्षेत्र के आस पास की भुमी वन , गोचर ओरण होने के कारण यहां जीवों की उपस्थिति बहुत ज्यादा है कुछ ऐसी भी प्रजातियां है जो लुप्तप्राय है इस प्रकार क्षेत्र मे पाये जाने वाले जीवो पर खनन गतिविधी का बहुत बड़ा प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा

निष्कर्ष

उपरोक्त बिंदुओ तथ्यो और आकड़ो को गहराई से देखने से पता चलता है कि पानी की गुणवता , जल विज्ञान , मिट्टी भुविज्ञान , जैव विविधता , वायु गुणवता , पर्यावरण, जोखिम के खतरे , सामाजिक आर्थिक स्थिती , शोर और कंपन्न और ठोस अपशिष्ट उतपादन पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा

पानी के छिडकाव नही करने से स्त्रोत पर धुल को कम नही किया जा सकेगा

शोर वाले स्थान पर श्रमिको को फेस मास्क , जूते और ईयर प्लग उपलब्ध नही करवाये जाते है । खनिज का परिवहन ढके हुए तिरपाल से न करके आबादी भूमी से ओवरलोड वाहनो का उपयोग किया जाएगा , खनन पट्टा क्षेत्र मे पियूसी बिना प्रमाणित वाहनो का उपयोग किया जायेगा , व क्षेत्र के लिए वायु गुणवता मॉडलिंग पर ध्यान नही देते है एवं खनन कार्य दिन रात किया जाता है लीज क्षेत्र सहित आस पास वृक्षारोपण पर ध्यान नही दिया जाता है जिसके कारण स्थानिय ग्रामीणो को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ।

दिनांक 13/11/2026

प्रार्थीगण
समस्त ग्रामवासी ग्राम पचांयत

Dalcep Singh
Advocate
Raj High Court
Sri Kolayat (Bikaner)

प्रतिलिति

1. मुख्य शासन सचिव शासन सचिवालय, जयपुर

3. प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
4. प्रमुख शासन सचिव खनन विभाग शासन सचिवालय जयपुर
5. प्रमुख शासन सचिव प्रदूषण विभाग शासन सचिवालय जयपुर
5. निदेशक खान एवं भू-विज्ञान विभाग उदयपुर
6. संभागीय आयुक्त महोदय बीकानेर
7. प्रमुख शासन सचिव वन पर्यावरण एवं जल वायु परिवर्तन विभाग जयपुर
8. अध्यक्ष राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर
9. शासन सचिव श्रम कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षण एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं आयुक्त श्रम विभाग जयपुर
10. महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, चोपड़ा कटला, रानी बाजार, बीकानेर।
11. सदस्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डेंगरी जयपुर
12. एकीकृत क्षेत्रिय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ए 209 व 218, अरण्य भवन, महात्मा गांधी रोड़, झालाना संस्थानिक क्षेत्र , जयपुर ।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कार्यालय , एन एच 11. सिविल लाईन्स, बीकानेर ।
14. क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल बीकानेर।